

महत्वपूर्ण एवं खास

सफाई दरोगा पर हुआ हमला, महेंद्र जायसवाल ने की घटना की निंदा

रायगढ़। सड़क व नाली निर्माण के आड़े आ रहे दीवार को ढहाने की नोटिस दिए जाने के बाद सिंधी कालोनी में विवाद हो गया। यह विवाद ऐसा बढ़ा की विजय राजपूत सहित अन्य लोगों ने मिल कर मारपीट शुरू की। इससे नगर निगम के सफाई दरोगा राजू पांडेय का सर फट गया। वहीं महिला इंजीनियर प्रज्ञा सिदार से भी हज्जतबाजी की गई। सफाई दरोगा पर किये गये हमले व महिला इंजीनियर के साथ हुए अश्लील व्यवहार की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी रायगढ़ के जे.पी. महेन्द्र जायसवाल और जिलाध्यक्ष इमोसेंट कुजूर एवं संगठन मंत्री गजेंद्र साण्डे ने कड़ी निंदा की है। और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

निर्वाचन अधिकारी सहित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को जिले के बाहर प्रस्थान हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर कार्यालय की स्पष्ट अनुमति के बिना जिले के बाहर प्रस्थान नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य परिस्थितिवश यदि जिले से बाहर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी जिले से बाहर प्रस्थान करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर कार्यालय की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।

चक्रधरनगर, जूटमिल पुलिस ने पकड़े स्थाई वारंटी

आबकारी एक्ट में दर्ज मामले के तीन वारंटी गिरफ्तार
रायगढ़। जिला पुलिस कप्तान ने तीन दिन पूर्व आयोजित कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग लेने के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए लंबित मामले का निकाल करने आदेशित किया था। चक्रधरनगर पुलिस ने एक एवं पुलिस चौकी जूटमिल एक गिरफ्तार एवं 01 स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा आबकारी एक्ट के आरोपी विश्वनाथ निषाद पिता नकुल निषाद उम्र 19 वर्ष निवासी पतरापाली पूर्व को जारी स्थायी वारंटी के परिपालन में वारंटी की तामिली करते हुए विश्वनाथ निषाद को न्यायालय पेश किया गया। बताया जा रहा है कि उक्त मामले में आरोपी जिले से बाहर काम काज करने गया हुआ था। वहीं दूसरे मामले में पुलिस चौकी जूटमिल पुलिस द्वारा स्थायी वारंटी राकेश सिंह पिता बिन्देश्वर सिंह निवासी झोपड़ीपारा जूटमिल रायगढ़ तथा आबकारी एक्ट में आरोपी प्रमोद चौहान पिता सुन्दरलाल चौहान निवासी रेल्वे कालोनी जूटमिल को जारी गिरफ्तारी वारंटी के पालन में वारंटी की तामिली कर वारंटियों को न्यायालय पेश किया गया है।

जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत निर्वाचन व्यव अनुवीक्षण के तहत पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते द्वारा की गई जागी के प्रत्येक मामले की जांच हेतु जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

बच्चे की उम्र एक दिन भी ज्यादा होने पर आवेदन हो रहे रिजेक्ट

रायगढ़। आरटीई में एडमिशन के लिए उम्र का आंकलन 31 मार्च की स्थिति में की जा रही है। इस वजह से बच्चे की उम्र 1 दिन भी ज्यादा हुई तो पोर्टल में आवेदन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। जिले में ऐसे अनेक मामले सामने आ गए हैं लेकिन नियमों की ढाल दिखाकर नोडल अफसर इस का हल नहीं ढूँढ पा रहे हैं।



राज्य सरकार ने बीते दो सालों से शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। एडमिशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल बनाया गया है लेकिन यहाँ पोर्टल अब कुछ पालकों के लिए मुसीबत बन गया है। पोर्टल में इस बार नर्सरी, केजी-1 और कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चों के उम्र एक दिन भी

अधिक हो रही है तो उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहा। शासन स्तर पर बने पोर्टल में ऐसे आवेदन आने पर सीधे नोडल अधिकारी से संपर्क करने कहा जा रहा है। जिले में ऐसे अनेक बच्चे हैं, जिनकी उम्र निर्धारित उम्र से कुछ दिन ज्यादा है। ऐसे में इन परिवारों को आरटीई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे

लोग परेशान हैं। डीइओ आरपी आदित्य बताते हैं कि आरटीई के इस पोर्टल में उम्र का आंकलन 31 मार्च 2019 को आधार मानकर किया गया है। इस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं।

केस 1

राजीव नगर मोहल्ले में रहने वाले एक पालक शिव निषाद ने बताया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 2 अप्रैल 2015 है। केजी वन में एडमिशन के लिए आवेदन किया तो 2 दिन अधिक हो जाने के कारण आवेदन निरस्त हो गया। नोडल अफसर भी इस नियम को गलत बता रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है।

केस 2

ढिमरापुर में रहने वाली बच्चो नेहा की

जन्मतिथि 3 अप्रैल 2016 है। आरटीई के अनुसार नर्सरी में प्रवेश में लिए उम्र की गणना 31 मार्च 19 के हिसाब से की जा रही है। ऐसे में नेहा की उम्र 31 मार्च 19 की स्थिति में 3 साल से 3 दिन कम हो रही है, इसलिए बच्चो को नर्सरी में प्रवेश नहीं मिल रहा है।

आरटीई में उम्र का ऐसा बंधन

आरटीई में पोर्टल में आवेदन करने के लिए शिक्षा विभाग ने उम्र का बंधन लगा दिया है। नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 4 साल से कम होना चाहिए। इसी तरह केजी-1 में 4 साल से अधिक और 5 साल से कम होना चाहिए। वहीं कक्षा पहली में 5 साल से अधिक और 6 साल से कम होना चाहिए।

एकाउंट के पेपर में सवाल के क्रम को लेकर उलझे छात्र

बोर्ड की बारहवीं परीक्षा में सी व डी खंड को लेकर था संदेह

रायगढ़। शुक्रवार को बारहवीं कक्षा के एकाउंट के पेपर में सवालों के क्रम को लेकर परीक्षार्थी उलझे रहे। चार खंडों में आए प्रश्नपत्र में शुरू के दो खंडों

खंड के सभी प्रश्नों को हल करना था लेकिन इसके बाद सी व डी खंड में से किसी एक को ही हल करना था लेकिन बदले हुए पैटर्न में सवाल आए तो बोर्ड की इस गुणाली से छात्र भी असमंजस में आ गए। कुछ छात्रों ने सी व डी खंड में से दो-दो सवालों के जवाब लिख दिए लेकिन आशंका हुई तो फिर बोर्ड के अफसरों से संपर्क साधा गया। डीइओ आरपी आदित्य ने बताया कि कुछ परीक्षा केन्द्रों में यह समस्या आई थी लेकिन शिक्षकों ने छात्रों को प्रश्नपत्र हल करने का नियम बता दिया। विवाद वाली किसी बात से उन्होंने इंकार किया है। शुक्रवार को बोर्ड के एकाउंट वाले इस विषय समेत राजनीति विज्ञान का भी पेपर था। शिक्षा विभाग के अनुसार इसमें कुल 15 हजार 243 छात्रों को शामिल होना था लेकिन इसमें से 15 हजार 4 छात्र ही परीक्षा दे सके हैं और 239 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। बोर्ड की इस प्रश्नपत्र में कुल चार खंड आए थे। इसमें से शुरू के ए व बी




को हल करना अनिवार्य था लेकिन सी व डी में से किसी एक को हल करना था। ऐसे में कई स्कूलों में छात्र इसको लेकर शिक्षकों से सवाल करते रहे और कुछ ने दोनों खंडों के आंशिक सवाल हल कर दिए।

का नियम बता दिया। विवाद वाली किसी बात से उन्होंने इंकार किया है। शुक्रवार को बोर्ड के एकाउंट वाले इस विषय समेत राजनीति विज्ञान का भी पेपर था। शिक्षा विभाग के अनुसार इसमें कुल 15 हजार 243 छात्रों को शामिल होना था लेकिन इसमें से 15 हजार 4 छात्र ही परीक्षा दे सके हैं और 239 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। बोर्ड की इस प्रश्नपत्र में कुल चार खंड आए थे। इसमें से शुरू के ए व बी

नवविवाहित महिला ने घर के म्यार में लगाई फांसी

रायगढ़। नवविवाहिता ने घर के म्यार में फांसी के फंदे में झूलकर जीवनलीला समाप्त कर ली है। मामले में पुलिस परिजन से पूछताछ व कथन बयान लेते हुए जांच में जुट गई है। रुकमणी पटेल पति योगेश्वर पटेल उम्र 23 वर्ष है। परिजन के मुताबिक महिला का मायका जांजगीर जिला अंतर्गत उमरा थाना क्षेत्र है जिसका विवाह दो वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से ठेगापाली के ग्रामीण योगेश्वर से सम्पन्न हुई थी। जिसमें महिला की एक आठ माह की बच्चो भी है। जहां महिला ने शुक्रवार दोपहर लगभग 2 से 3 बजे के बीच घर के सदस्य अपने

दैनिक दिनचर्या में गए हुए थे इस दौरान महिला ने घर के म्यार पर फंदे में झूलकर जान दे दी। फिलहाल महिला ने क्यो फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या की है इस पर रहस्य अना हुआ है वहीं परिजन अचम्भित हैं। बहरहाल घटना की भनक लगते ही मौके पर पुलिस आई और शव को फंदे से उतारते हुए पंचनामा व अन्य कानूनी कार्रवाई के बाद पीएम के लिए भेजा है।



सौंद महिला से घर घुसकर छेड़छाड़ जर्म दर्ज

रायगढ़। कमरे में सो रही महिला से गांव का ही रहने वाला युवक ने बदनीयती से घुसकर छेड़छाड़ करने लगा जिसमें नींद में गाफिल महिला की नींद टूटने के बाद युवक को देख चीख पुकार मचाई जिस पर युवक भागने में सफल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महिला ने परिवारिक सलाह मशवरा के बाद थाने में मामला दर्ज कराया है। छेड़छाड़ की घटना सारंगढ़ थाना क्षेत्र की है। थाना सारंगढ़ अंतर्गत निवासरत 26 वर्षीय महिला ने गांव का रहवासी युवक अनिल चौहान पर 14 मार्च की रात्रि घर घुसकर छेड़छाड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार ही न्याय तक

इस संघ का गठन उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमिक 5026 है, तथा सम्पर्क हेतु नं. 9301915303 है। इस संघ के अन्तर्गत एवं संघ के संरक्षक एवं संरक्षक एडवोकेट और लोकमान्य शिवराज (अधिवक्ता), मानवीय उच्च न्यायालय, एवं सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों द्वारा ली.बी.एम., सी.बी.टी. एवं लोकमान्य, सी.बी.टी. एवं लोकमान्य एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक कार्य, और लोकमान्य संघ के पास सामाजिक न्याय एवं मानवीय अधिकार इन सभी तत्वों के प्रत्यक्ष से, उच्च न्यायालय में शासन एवं शासन में विभिन्न महत्वपूर्ण घट्टों पर आदेश एवं तत्काल न्यायिक कार्य के लिए संघ को प्रत्यक्ष किया जायेगा। साथ ही, शिक्षा, न्याय संबंधी कार्य एवं लैबर वेल्फेयर, मरीय, परिवारिक, विधवाओं के अलावा के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमिल जिलों एवं लोक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवीय अधिकार हेतु जनसंख्या को प्रेरित करना है। संघ शासन एवं अन्वेषिक शिक्षा के माध्यम से मानवीय अधिकार के तमिलों में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के तमिल जिलों एवं लोक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवीय अधिकार संरक्षण केन्द्र को स्थापना की जायेगी, और उमरों संघ के द्वारा आर्थिक निष्पत्तियों को जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
प्रतियोगिता एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन एवं सुनना, आयेन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित तमिल एवं संरक्षण की अस्तित्व के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक समर्थन पर विभिन्न प्रकार के अन्वेषिक आर्थिक मदद की जायेगी।

मुख्य बिन्दु
संघ विशेष रूप से मानवीय अधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्रदान हेतु पीड़ित मानव को दर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक तत्त्वों को व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

पीड़ित संपर्क करें

अन्य बिन्दु
● संघ प्रचार-प्रसार एवं प्रचार-प्रसार तमिलों के लिए जनसंख्या लेने का प्रयास करेगा।
● छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्गों के अधिकारों के तमिलों में शिक्षा एवं लोकमान्य संघ के सदस्यों को इस संघ द्वारा संरक्षित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उचित कार्य एवं अधिकार के बारे में सलाह दिया जायेगा। साथ ही इस संघ में मदद की जायेगी।
● संघ शासन से न्याय प्राप्त है, अतः शासन एवं शासन में विभिन्न घट्टों पर आदेश एवं तत्काल न्यायिक कार्य के लिए संघ को प्रत्यक्ष किया जायेगा।
● संघ शासन से न्याय प्राप्त है, अतः शासन एवं शासन में विभिन्न महत्वपूर्ण घट्टों पर आदेश एवं तत्काल न्यायिक कार्य के लिए संघ को प्रत्यक्ष किया जायेगा।
● संघ सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार एवं सुनना, आयेन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित तमिल एवं संरक्षण की अस्तित्व के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक समर्थन पर विभिन्न प्रकार के अन्वेषिक आर्थिक मदद की जायेगी।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जाये ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM For Nuresery to 10th

पिछले 22 वर्षों से लगातार बढ़ती के साथ

Topper Students Last Session

Sushant 92%	Prince 97%
Kaush 96%	Ashish 99%
Aayub 93%	Prachi 97%
Talika 96%	Pari 96%
Anshya 97%	Ananya 99%
Ashish 96%	Ashita 99%

Join CAREER...

Major Facts

- 1/ Well Qualified Teachers....
- 2/ A perfect ratio of Teachers and Students regarding classes....
- 3/ Complete Caring Atmosphere.
- 4/ Good and Equipped Class rooms....
- 5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K., English Grammar....
- 6/ CCTV equipped School....
- 7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday.
- 8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जाँच हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पथलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुम्कुटी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090